**मूल हिन्‍दी में**

**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2921**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**वन्य जीवों की सुरक्षा**

**2921. श्री लाल सिंह वडोदिया:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सुरक्षा के लिए कोर्इ ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं\

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क), (ख) और (ग) वन्‍यजीवों का प्रबंधन संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों का दायित्‍व है। सरकार वन्‍यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्‍त कदम उठा रही है। वन्‍यजीवों की सुरक्षा हेतु उठाए गए महत्‍वपूर्ण कदमों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध वन्‍यजीवों को विधिक सुरक्षा दी गई है ।

ii. वन्‍यजीवों और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, वन्‍यजीव अभयारण्य, बाघ रिजर्व, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं ।

iii. बाघों और हाथियों जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु देश भर में 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

iv. चयनित गम्‍भीर रूप से संकटापन्‍न 16 प्रजातियों के संबंध में केंद्रीभूत संरक्षण कार्रवाई हेतु केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम-'वन्‍यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' (आईडीडब्‍ल्‍यूएच) में 'गम्‍भीर रूप से संकटापन्‍न प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने हेतु पुन:प्राप्ति कार्यक्रम' के विशिष्‍ट घटक का प्रावधान शुरू किया गया है।

v अपराधियों के लिए सख्त सजा के प्रावधान के अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

vi. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावास में सुधार करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

vii. वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्ति सम्पन्न बनाया गया है ।

viii. वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए कानून के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*